तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
20.12.2021	पत्रावली में बहस सुनी गई। दूसरी तरफ विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपनी बहस में कथन किये कि प्रश्नगत कृषि भूमि प्रार्थीया संख्या 1 के ससुर व प्रार्थीगण संख्या 2 व 3 के दादा हरचन्द के नाम दर्ज है। प्रार्थीया के ससुर के एक पुत्ररामू चव तीन पुत्रियां अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 है। रामू की मृत्यु दिनांक 20.5.2013 को हो चुकी है जिनसे वारिस प्रार्थीगण है। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 द्वारा अपने पिता के जीवनकाल में हुये मौखिक पारिवारिक विभाजन में अपा हक व हिस्सा अपने भाई रामू के पक्ष में छोड़ दिया गया। ऐसी स्थिति में स्व0 हरचन्द को कृषि भूमि रामू के कब्जा काश्त में रही एवं रामू की मृत्यु के उपरान्त प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में है जो कि ठेकानामा दिनांक 11.4.2016 से साबित है। उक्त मौखिक पारिवारिक समझौता अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 के आचरण से भी साबित है क्योंकि अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 अर्सा दराज वर्ष 2012 से हरचन्द की मृत्यु के पश्चात भी कृषि भूमि में नामान्तरण का का प्रयास नहीं किया एवं कृषि भूमि आज भी स्व0 श्री हरचन्द के नाम से है जो कि प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में है इस सम्बन्ध में न्याय दृष्टान्त सी.सी.सी. 2016 (1) पेज 433 व आर.आर.टी. (1) पेज 264 प्रस्तुत किया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण ने यह भी कथन किया कि प्रार्थीगण द्वारा प्रथम दृष्टया मामला अपने पक्ष में साबित किया है एवं वाद में वर्णित बिन्दूओं का निर्णय साक्ष्य से होना है ऐसी स्थिति में में प्रश्नगत कृषि भूमि की आज की मौका व रिकार्ड की यथास्थिति के आदेश दिये जाने न्यायहित में भी आवश्यक है। दूसरी तरफ विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने मौखिक बहस के साथ लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने लिखित-बहस प्रस्तुत करते हुये कथन करते हुये कथन किये कि प्रार्थीया के ससुर एवं प्रार्थीगण संख्या 2 व 3 के दादा हरचन्द द्वारा अपनी [illegible] कथन सही है एवं रामुराम के जीवनकाल [illegible] अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 द्वारा [illegible] परित्याग नहीं किया [illegible] कृषि भूमि से सम्बन्धित कोई भी दस्तावेज लिखा पढ़ी नहीं हुई थी और ही समस्त कृषि अकेले रामकुराम का कब्जा मालिकाना हक रहा है। हरचन्द के नाम से कृषि भूमि 1.581 हैक्टेयर राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। अप्रार्थीगण संख्या 1ता 3 अपने पिता हरचन्द की मृत्यु के उपरान्त से ही अपने हक व हिस्सा की

Web Copy - Not Official

सत्यमेव जयते

Signature Not Verified
Digitally signed by Avi Garg
Date: 2022.02.25 17:01:24 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

कृषि भूमि पर काबिज होकर का करते चले आ रहे है। हरचन्द की मृत्यु के बाद समस्त कृषि भूमि प्रार्थीगण के कब्जा में ना होकर सभी वारिसान के कब्जा थी एवं वर्तमान में भी हरचन्द केजायज वारिसान ही अपने-अपने हक व हिस्सा की कृषि भूमि पर संयुक्त रूप से काबिज चले है। प्रार्थीया संख्या 1 द्वारा सम्पूर्ण कृषि भूमि 1.518 हैक्टेयर को ठेका पर देकर काश्त करवाना बताना अपने आप में मनगढ़त तथ्य है। प्रार्थीया संख्या 1 द्वारा अपने हक व हिस्सा की कृषि भूमि को ही ठेका पर देकर काश्त करवाती है। प्रार्थीया संख्या 1 द्वारा जो कृषि भूमि को ठेका पर देकर काश्त करवाती है। प्रार्थीया संख्या 1 द्वारा जो कृषि भूमि ठेका पर देकर ठेकानामा लिखवाने कीवात कर रही है वह कतई गलत व मिथ्या है जो ठेकानामा की प्रतिलिपि प्रार्थना-पत्र के साथ प्रस्तुत की हुई है। उस पर अप्रार्थीगण संख्या 1ता 3 के कहीं भी हस्ताक्षर नहीं किये हुये है व ना ही अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 के ज्ञान में है। यह ठेकानामा मनगढ़त तरीके से करवाया गया है।

अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 शादी केरोज से ही अपने ससुराल में राजीखुशी रह रही है परन्तु अप्रार्थीगण की शादी हरचंद के द्वारा की गई थी,ना कीरामुराम द्वारा की गई थी। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 के द्वारा किसी प्रकार से अपने हिस्से की कृषि भूमि का परित्याग नहीं किया हुआ है एव ना ही हक व परित्यागसे सम्बंधित कोई लिखित दस्तावेज पत्रावली में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थीगण से अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 द्वारा अपने पिता हरचंद की मृत्यु के पश्चात से ही सहमति के साथ विरास्तन इन्तकाल दर्ज करवाने हेतु बार-बार निवेदन किया गया परन्तु प्रार्थीगण संख्या 1 के मन में बेजा लालच आ जाने के कारण प्रार्थीसंख्या 1 ने विरास्तन इन्तकाल दर्ज करवाने हेतु सहमत नहीं हुई और माननीय न्यायालय के समक्ष मनगढ़त तथ्यों के आधार पर वादपत्र प्रस्तुत कर एक तरफा [illegible] आदेश पारित कर लिया है जो काबिले खारिज किये [illegible] है। प्रार्थी संख्या 1 केससुर [illegible] अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 के पिता की मृत्यु के पश्चात से ही उक्त कृषि भूमि के सम्बन्ध में विरास्तन इन्तकाल दर्ज करवाने के अधिकारी स्वतः उत्पन्न हो गये थे। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 के पिता हरचन्द द्वारा अपने जीवनकाल में शादी के उपरान्त यह मौखिक तथ्य उजागर किये गये थे

Signature Not Verified
Digitally signed by Avi Garg
Date: 2022.02.25 17:01:24 IST
Reason: SelfAttested

Web Copy - Not Official
सत्यमेव जयते

नायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	कि मेरी मृत्यु के उपरान्त उक्त कृषि भूमि सभी वारिसानों में उनके 1/4 हिस्सा अनुसार विरास्तन इन्तकाल के आधार पर बराबर–बराबर बंट जायेगी। प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 3 में दर्ज कृषि भूमि हरचन्द की मृत्यु केउपरान्त से ही हरचन्द के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज चली आ रही है, तो इस कृषिभूमि से सम्बधित विरास्तन इन्तकाल दर्ज करवाने बाबत कोई ऐतराज नहीं किया जा सकता है क्योंकि अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 के पिता हरचन्द की मृत्यु पश्चात् से ही विरास्तन इन्तकाल दर्ज करवाने के अधिकार स्वतः ही उत्पन्न हो चुके थे। इस कारण भी प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र काबिले खारिज है।
	प्रार्थीगण संख्या 1 की मंशा गलत है तथा प्रार्थीगण संख्या 1 बेईमानीपूर्वक एवं मनगढद्यत तथ्यों के आधार पर उक्त कृषि भूमि को अपने नाम करवाना चाती है। प्रार्थीगण संख्या 1 द्वारा अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 से कभी भी उक्त कृषि भूमि का नामान्तरण दर्ज करवाने हेतु निवेदन किया गया। प्रार्थीगण संख्या 1 के मन में कृषि भूमि को लेकर लालच आ गया और वह उक्त कृषि भूमि को बेनियति से हड़प करने की मंशा से अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 को स्पष्ट इन्कार कर दिया और माननीय न्यायालय के समक्ष मनगढत तथ्यों के आधार पर प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर दिया है जो काबिले खारिज है।
	हमने पत्रावली का अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया कि प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों तथा अप्रार्थीगण की जबावदेही व मौखिक बहस के तथ्यों मनन करने के उपरान्त प्रार्थीगण को अपने प्रार्थना–पत्र के तथ्यों के सम्बन्ध में अपने दावा में ही साक्ष्य उपरान्त साबित करना है तथा ये सभी तथ्य दोनो पक्षों के साक्ष्य आने के उपरान्त ही साबित होगा कि प्रार्थीगण का प्रश्नगत भूमि 1.518 हैक्टेयर पर अप्रार्थीगण मौखिक रूप से तर्क कर दिये जाने अप्रार्थीगण ... भूमि में कोई हक व हित नहीं है।
	... में प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण ... स्वीकार किया जाता है कि चक 9 ज.आर.के. खसरा संख्या 49/20 में 6.320 हैक्टेयर में से प्रार्थीगण के दादा हरचन्द पुत्र सोहता के नाम दर्ज 1/4 हिस्सा अर्थात 1.581 हैक्टेयर कृषि भूमि में से प्रार्थीगण का का हक व हिस्सा 1/4 अर्थात 0.395 हैक्टेयर को रहन अप्रार्थीगण रहन बैय व मुन्तकिल नही करें। यदि प्रार्थीगण

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्डाधिकारी हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Avi Garg
Date: 2022.02.25 17:01:24 IST
Reason: SelfAttested

Web Copy - Not Official
सत्यमेव जयते

Scanned with CamScanner

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
के अथवा अप्रार्थीगण विरासतन इन्तकाल दर्ज करवाते है तो उन पर यह स्थगन आदेश लागू नहीं होगा तथा प्रार्थिया का 0.395 हैक्टेयर हिस्सा यथावत रहेगा। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरबीज राजकीय दाखिल दफ्तर हो।	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Avi Garg
Date: 2022.02.25 17:01:24 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner